

7-4-22

पत्रिका

आज पत्रावली मूल पत्रावली के हाथ में प्रतिलिपि  
 से तलब की गयी। चूंकि मूल वाड वाडी अथ  
 पुर-डल विडरों प्राथमिक पत्र के आधार पर  
 खारिज किया जा चुका है। इसलिए अडयार्सन  
 पत्र 212 RT Act का कोई कोचिल  
 अथ गरी रह जा रहा है। इसलिए प्राथमिक  
 पत्र 212 RT Act इसी स्तर पर खारिज  
 किया जा रहा है पूर्व में जारी अथम कोचिल  
 त्रिरस विम जा रहा है पत्रावली फेसल सुमाय  
 व कर नामवर से कम की जाकर दायिल  
 पफटर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 वाडी (मौलपुर) राज.

